

न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी - श्री शंकरलाल मीना R.T.S

सायल

बनाम

गैर सायल

पटवारी हल्का
क२५१

चार साराम पुत्र
परशाराम कोस
उत्तापत सा० क२५१

अन्तर्गत राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मुकदमा संख्या - 115/2019

निर्णय

दिनांक - 30.10.19

पटवारी हल्का क२५१ द्वारा गैर सायल के विरुद्ध संवत् 2016 मोजा क२५१ के ख.नं. 1377/3-87.9 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गेहूँ पर अवैध अतिक्रमण का बनकर कब्जा करने से धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत खसरा परिवर्तनशील पी. 14 व धारा 91 की रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित कराते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को नोटिस अपना जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया।

गैरसायल का नोटिस तामील हो जाने के बावजूद कोई जवाब या साक्ष्य दस्तावेज अतिक्रमण के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया और न ही करना चाहता है। इससे स्पष्ट साबित है कि गैरसायल ने राजकीय भूमि पर जबरन अतिक्रमण किया है। जो राज0 भ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अवैध है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाना उचित मानता हूँ।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार गैर सायल को धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा मौके से गैरसायल को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल अतिक्रमण का दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1-00 का 475 गुणा के हिसाब से रुपये 50/- अक्षरे रुपये 475 रुपये तक किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किये जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत धारा 91 की रिपोर्ट में वर्णित अतिक्रमित भूमि में गैरसायल को मौके से बेदखल कर तथा जुर्माना राशी वसूल कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्त जुर्माना राशी की मांग तहसील राजस्व लेखा के रजिस्टर "घ" में दर्ज करवाई जावे।

अतः पत्रावली फैसल शुभार होर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्टर 'घ' के दृष्टि से
र 91 जुर्माना कटक निकासी
की वरि
नवम की वरि

तहसीलदार, रानीवाडा

तहसीलदार, रानीवाडा
तहसीलदार-रानीवाडा

